500Rs.

18 FEB 2005

किसीम वसीका : बिक्री बैला कलामी **(Sale Deed)**
ब–एजाजत उप समाहर्ता भूमि सुधार लोहरदगा के परमीशन केस न0 161 / 2004 आदेश दिनांक 23.2.2005 के द्वारा जमीन बिक्री का आदेश प्राप्त है

लाल मोहन उराँव
5-4-2005

तायदाद रूपयाः मो0 70,000/( सत्तर हजार रूपया) वास्ते काम जरूरी के लिया

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

*नाम मोकीर अलैह :–* श्रीमती अन्नू लकडा पति श्री गन्दू लकडा जात उरांव पेशा खेती साकिन जुरिया थाना वो जिला लोहरदगा झारखण्ड राज्य भारतीय नागरिक

50 Rs.

## तफसील जायदाद

| खाता न0 | प्लाट न0 | रकबा |
|---|---|---|
| 113 | 357 | 70 डी0 |

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

FIFTY RUPEES

५०रू.

50RS

आगे मन मोकीर मोकीर अलैह मजकुर से मो0 70,000/- सत्तर हजार रूपया नगद जर सम्मन लेकर जमीन मजकुरे वाला को तमामी कुल हक हकुक के साथ मोकिर अलैह मजकुर के बेचा वो बैला कलामी किया वो चाहिए कि मोकीर अलैह मजकुर मै उनके वारिसांन उपर सै जमीन पर कायम काबीज दखलकार होकर वो रह कर जोत कोड कर कराके जो कुछ के पैदावार हो सो सब साल ब साल अपने उपयोग में लावें या कुआं खोदावें या जैसा पसन्द हो करे वो अब आज तारीख से सै मोबईया के मन मोकीर या वारिसान कायम मोकामियान मन मोकीर का कुछ हक दावी वस्ता सरोकार नही रहा न आईन्दे होगा जो कुछ के हक हकुक सै मोबईया पे मन मोकीर या वारिसान कायम मोकामियान मन मोकीर का था या आईन्दे होता वह सब कुल हक हकुम बजिन्सहु मोकीर अलैह मजकुर वो उनके वारिसान कायम मोकामियान पुत्र पुत्रादिक अल औलाद एके बादिगेरे का हुआ वो होगा जो खरीदार मजकुर सै मोबईया का दाखिल खारिज

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

तफसील जमीन : मवाजी 70 डी0 (सत्तर डिसमिल) जमीन टांड हकियत रैयती कायमी खाता न0 113 प्लाट 357 रकबा 70 डिसमिल जिसके उत्तर मडवा उरांव दखिन बुदा उरांव पुरब बनौदी उरांव पश्चिम चमरा उरांव वाके मौजा जुरिया थाना लोहरदगा थाना न0 197 जिला लोहरदगा डिस्ट्रीक रजिस्टार लोहरदगा वो सदर सब रजिस्टार मोकाम लोहरदगा अन्दर जमीन्दारी झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल पदाधिकारी लोहरदगा माल सलाने 50 पैसा जमीन खेती योग्य जिस पर मकान निर्मित नही है खेती करने योग्य हल्का न0 2 जो बाद वफात दादा वो पिता के आपसी बटवारा के हिस्सा में मन मोकिर को मिला जो खास हिस्सा मन मोकिर का है जिसपर मनमोकीर दखलकार चलें आ रहें है जो हर तरफ के नुक्स से पाक वो साफ है ।

मनमोहन उरांव
5-4-2005

50 Rs.

घोषित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि खतियान के अनुसार सरकारी नही है और ना सरकार के द्वारा अधिग्रहण हीं किया गया है घोषित करते है कि प्रसांगिक भूमिं भूदान , भू हदबन्दी, लीज तथा भू बन्दोबस्ती की नही है यह भूमि खनन एंव वन सीमा से बाहर है तथा घोषित किया जाता है कि यह भूमि मठ ,मन्दिर, गिरजा,मस्जिद, सरना तथा गुरूद्वारा का नही है स्पष्ट किया जाता है कि प्रसांगिक भूमि की बिक्री पूर्व में नही की गई है यह भी घोषित किया जाता है कि यह जमीन आदिवासी खाता की जमीन है ।

पचास रुपये

भारत INDIA

५०रू. FIFTY RUPEES 50RS.

वगैरह खास अपने नाम से करा कर माल साल ब साल असल मालिक के अदाय कर रसीद खास अपने नाम से हासिल कर लेवे कोई उजूर नही है और ना होगा अब आज तारीख से सै बिक्री जमीन पर खरीदार मजकुर को कायम काबिज किया वो दखल कब्जा दे दिया कोई उजुर नही है न होगा इस वास्ते हम अपने खुशी राजी से बिक्री बैला कलामी हाजा लिख दिया के वक्त पर काम आवे।

तारीख 05 माह अप्रेल सन् 2005 ई0

कातिब राज ललित प्रसाद अधिवक्ता, लोहरदगा
मजमून पढ कर मोकिर को सुना वो समझा दिया
प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज वो द्वितीय प्रति दोनों एक दुसरे की हू ब हू सच्ची प्रतिलिपि है।

Raj Lalit Pd.
Advocate
5/4/2005

राज ललित प्रसाद
अधिवक्ता

न्यायालय उप समाहर्ता भू0सु0 समाहर्ता लोहरदगा।

अनुमति वाद सं0- 161/2004

## आदेश

आवेदक सालोमन उरांव पिता स्व0 मंगल उरांव साकिन- कुरिया थाना- लोहरदगा जिला लोहरदगा के द्वारा धारा 46 छो0 ना0 अधि0 के तहत आवेदन पत्र दिया गया कि निम्नांकित जमीन को श्री मती अन्नू लकड़ा पति श्री गन्दू लकड़ा साकिन- कुरिया थाना एवं जिला - लोहरदगा के हाथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान किया जाय।

### जमीन का विवरण

| मौजा | थाना नं0 | खाता | प्लॉट | रकबा |
|---|---|---|---|---|
| कुरिया | 197 | 113 | 357 | 0.70 डी0 |

अतः आवेदक का आवेदन पत्र ग्रहण किया गया तथा आम इश्तहार नोटिस जारी किया गया कि यदि उपरोक्त जमीन बिक्री के विरुद्ध किसी को कोई आपत्ति हो तो अपना-अपना आपत्ति पत्र दाखिल करें, साथ ही अंचल पदाधिकारी लोहरदगा को नोटिस जारी कर प्रतिवेदन की मांग किया गया। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के पास कुल- 3.18 ए0 जमीन है बिक्री के बाद 2.48 एकड़ जमीन बचती है। जमीन का मूल्य600=00 रूपया प्रति डी0 के दर से होता है। आवेदक खतियानी रैयत है तथा जमीन पर आवेदक का दखल कब्जा है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही समुदाय तथा एक ही थाना के निवासी हैं। जमीन की श्रेणी टॉड II है, अंचल पदाधिकारी के द्वारा जमीन बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा किया गया है! इस क्रम में आवेदक के द्वारा एक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है जिसमें यह बयान किया गया है कि बिक्री की जाने वाली जमीन मेरे हिस्से की है जिसको मेरे द्वारा बिक्री किया जा रहा है यदि भविष्य में किसी प्रकार का कोई आपत्ति होने पर सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक का होगा।

अतः अंचल पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान तथा शपथ पत्र के आधार पर आवेदक को आवेदित जमीन श्री मती अन्नू लकड़ा पति गन्दू लकड़ा के हाथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान किया जाता है।

लेखापित।

उप समाहर्ता भू0 सु0 लोहरदगा।

उप समाहर्ता भू0 सु0 लोहरदगा।

ज्ञापांक--65---- दिनांक--23.2.2005

प्रतिलिपि जिला अवर निबंधक लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित।

23/2/2005

उप समाहर्ता भू0 सु0 लोहरदगा।

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

नाम मोकीर– श्री लाल मोहन उरांव पिता स्व0 मंगल उरांव जात उरांव पेशा गृहस्ती साकिन जुरिया थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा झारखण्ड राज्य भारतीय नागरिक

S.No 000336/05

तायदाद नं० 43 दिनांक 5.4.2005

नाम [illegible]

साकिन कुरिया थाना लोहरदगा

वास्ते [illegible] मूल्य [illegible]

विवरण [illegible]

[illegible]

मुद्रांक विक्रेता, लोहरदगा

ला० नं० - २/८७

5-4-2005

लाल मोहन उराँव
मंगल उराँव
कुरिया था लोहरदगा
खेती

लाल मोहन उराँव
5-4-2005

लाल मोहन उरांव
बसन्त लोहार
रामसहाय लोहार

1384/05
लाल मोहन उराँव

1390/05
बसन्त लोहार